न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ0 सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 03 / 2024
प्रविष्टि दिनांक — 18.06.2024

जरिये सूरजभान सिंह, प्रर्वतन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
— प्रार्थी

बनाम

मै0 संजय कुमार पाराशर वार्ड नं.23 एजेन्सी ऐरिया नगरपालिका देवली
— अप्रार्थी

जब्तशुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप एक रेगूलेटर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः—

1— पेरोकार सरकार — प्रार्थी की ओर से
2— अप्रार्थी — स्वंय उपस्थित

निर्णय **दिनांक** 14.08.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 12.06.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण/जाँच हेतु नगरपालिका देवली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे वार्ड नं. 23 एजेन्सी ऐरिया स्थित संजय कुमार पाराशर की दुकान पर पहुंचें। मौके पर गणेश सोनी मिला जिसने स्वंय को दुकान पर हेल्पर होना बताया एवं दुकान मालिक संजय कुमार पाराशर को होना बताया जो दौरान जॉच उपस्थित हो गये। दुकान की जाँच करने पर भारत गैस कम्पनी के 10 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 KG एवं इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप मय रेगूलेटर रखी हुई पाई गई। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों को मोटर से जोडकर वाहनों में गैस रिफिलिंग किये जाने वाले उपकरण पाये गये। मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है। उक्त गैस सिलेण्डरो मय इलेक्ट्रिक मोटर को कब्जे राज लिया गया,जिनका विवरण निम्नानुसार है

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस . आर . नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का तौलने पर वजन	शुद्ध गैस
01.	4730816-T	भारत गैस	14.2	15.5	15.5	0
02	678738-T	भारत गैस	14.2	15.6	15.6	0
03	3463-S	भारत गैस	14.2	15.5	15.5	0
04	45554-P	भारत गैस	14.2	15.7	15.7	0
05	143325-S	भारत गैस	14.2	16.1	16.1	0
06	076779-J	भारत गैस	14.2	15.6	15.6	0
07	775598-P	भारत गैस	14.2	15.7	15.7	0
08	361425-S	भारत गैस	14.2	15.7	15.7	0
09	830764-T	भारत गैस	14.2	15.6	29.8	14.2
10	469449-T	भारत गैस	14.2	15.6	15.6	0
		योग				14.2

अतः उक्त जब्तशुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 14.2 Kg एलपीजी. मय इलेक्ट्रिक मोटर रेगूलेटर मय पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 12.06.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण/जाँच हेतु नगरपालिका देवली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे वार्ड नं. 23 एजेन्सी ऐरिया स्थित संजय कुमार पाराशर की दुकान पर पहुंचें,जिस पर कोई नाम पता अंकित नहीं पाया गया। मौके पर गणेश सोनी उपस्थित मिला,जिसने स्वंय को दुकान पर हेल्पर होना बताया एवं दुकान मालिक संजय कुमार पाराशर का होना बताया जो दौरान उपस्थित हो गये। संजय कुमार पाराशर द्वारा मौके पर संस्थान का पंजीकरण पत्र से सम्बन्धित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये,उनकी उपस्थिति में दुकान की जाँच करने पर भारत गैस कम्पनी के 10 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 KG एवं इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप मय रेगूलेटर रखी हुई पाई गई। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों को मोटर से जोडकर वाहनों में गैस रिफिलिंग किये जाने वाले उपकरण पाये गये। श्री गणेश सोनी एवं संजय कुमार पाराशर से पूछताछ करने पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग गाडियों मे इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से गैस भरना बताया। मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एलपीजी (प्रदाय और वितरण का

जिला कलेक्टर
टोंक

विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है। उक्त गैस सिलेण्डरो मय इलेक्ट्रिक मोटर को कब्जे राज लिया गया। इस प्रकार संजय कुमार पाराशर द्वारा धरेलू गैस सिलण्डरों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से भण्डारण किया जाना करना पाया गया, जिसके बारे में कोई साक्ष्य उनके द्वारा नहीं दिया गया। जब्त सामग्री इलेक्ट्रिक मोटर मय रेगूलेटर मय पाईप एवं 10 खाली/भरे हुए गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु मै. मोहन गैस एजेन्सी नगरपालिका देवली के प्रतिनिधि श्री सत्यनारायण साहू पुत्र श्री हरजीराम साहू निवासी वार्ड नं. 5 खटीक मोहल्ला देवली की सुपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मागे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द-बुर्द नहीं करें। अतः उक्त जब्तशुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 14.2 Kg एलपीजी. मय इलेक्ट्रिक मोटर रेगूलेटर मय पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है,जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 12.06.2024 के अनुसार मै.संजय कुमार पाराशर वार्ड नं.23 एजेन्सी ऐरिया नगरपालिका देवली कि दुकान की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 10 सिलेण्डर पाये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरो को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर मोटर से जोडकर वाहनों में गैस रिफिलिंग किये जाने वाले उपकरण पाये गये। सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस . आर . नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का तौलने पर वजन	शुद्ध गैस
01.	4730816-T	भारत गैस	14.2	15.5	15.5	0
02	678738-T	भारत गैस	14.2	15.6	15.6	0
03	3463-S	भारत गैस	14.2	15.5	15.5	0
04	45554-P	भारत गैस	14.2	15.7	15.7	0
05	143325-S	भारत गैस	14.2	16.1	16.1	0
06	076779-J	भारत गैस	14.2	15.6	15.6	0
07	775598-P	भारत गैस	14.2	15.7	15.7	0
08	361425-S	भारत गैस	14.2	15.7	15.7	0
09	830764-T	भारत गैस	14.2	15.6	29.8	14.2
10	469449-T	भारत गैस	14.2	15.6	15.6	0
		योग				14.2

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 10 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया

जिला कलेक्टर (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

गया। फर्द मौका/जप्ती पर दशरथ,सत्यनारायण तथा गोपाल के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी दशरथ,सत्यनारायण व गोपाल के हस्ताक्षर है तथा मै. मोहन गैस एजेन्सी नगरपालिका देवली के प्रतिनिधि श्री सत्यनारायण साहू के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से मोटर से जोडकर वाहनों में गैस रिफिलिंग किये जाने का कार्य कर दुरूपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 10 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 14.2 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक